



संदर्भ सं.राबैं.पुनर्वित्त / ५६० / पीपीएस - 183 /2020-21

परिपत्र सं. २७२ /पुनर्वित्त- ८२ /2020

06 अक्टूबर 2020

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्या बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर)

महोदय

<p>जल, स्वच्छता और बीमारियों की रोकथाम (वाश) संबंधी गतिविधियों के लिए योजनाबद्ध पुनर्वित्त - वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजना</p> <p>संधारणीय विकास-लक्ष्य का उद्देश्य सभी को शुद्ध जल और स्वच्छता उपलब्ध करना है. संक्रामक रोगों, विशेष कर कोविड-19 महामारी के दौरान मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए शुद्ध जल, स्वच्छता और बीमारियों की रोकथाम के उपाय अनिवार्य है.</p> <p>2. इसे देखते हुए शौचालयों / दो खड्डे वाले शौचालयों का निर्माण, शौचालयों का पाइप पानी कनेक्शन-युक्त शौचालय-सह-स्नानागार (बाथरूम) में अंतरण, ओवरहेड वॉटर टैंक का निर्माण, अतिरिक्त स्नानागार-सह-शौचालय का निर्माण, पाइप पानी कनेक्शन लगाना, निष्क्रिय शौचालयों का पुनःसंयोजन और उन्नयन, मानव मल, गोबर, रसोई अपशिष्ट के उपयोग से बायोगैस प्लांट लगाना, वर्षा जल संग्रहण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) आदि जैसी जल, स्वच्छता और बीमारियों की रोकथाम (वाश) संबंधी गतिविधियों के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया गया है. गतिविधियों की एक उदाहरण सूची अनुबंध में दी गई है.</p> <p>3. जल, स्वच्छता और बीमारियों की रोकथाम (वाश) संबंधी गतिविधियों का वित्तपोषण 'बल' क्षेत्र माना गया है और इसके लिए पात्र ऋण के 95% तक पुनर्वित्त पात्र होगा. पुनर्वित्त 5.70% प्रति वर्ष (तिमाही अंतराल पर) की रियायती ब्याज दर पर</p>	<p>Schematic Refinance for Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Activities – Scheme for FY 2020-2021</p> <p>The Sustainable Development Goals aim to provide Clean Water and Sanitation for all. Access to safe water, sanitation and hygienic conditions is essential to protect human health during infectious disease outbreaks, especially in the times of on-going COVID-19 pandemic.</p> <p>2. Keeping in mind the above, it has been decided to provide Special Refinance Facility to eligible financial institutions for financing WASH related activities such as construction of toilets/ twin-pit toilets, converting toilet to toilet-cum-bathroom with piped water connection, construction of overhead water tanks, additional bathroom-cum-toilet, installing piped water connection, retrofitting and up-gradation of dysfunctional toilets, setting up of bio-gas plants using human excreta, cow dung and kitchen waste, rainwater harvesting structures, etc. An illustrative list of activities is given in the Annexure.</p> <p>3. The financing to WASH activities is a 'Thrust' area and will be eligible for 95% of eligible loan as refinance. Refinance will be available at concessional rate of interest, i.e.</p>
--	---

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं सी-24, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward

<p>उपलब्ध होगा. पुनर्वित्त पर ब्याज दर समय-समय पर परिवर्तन के अधीन होगी.</p> <p>4. यह परिकल्पना की गई है कि अंतिम उधारकर्ता से बैंक / वित्तीय संस्थान द्वारा ब्याज की दर वसूल करने पर रियायती पुनर्वित्त का लाभ उचित रूप से दिया जाएगा.</p> <p>5. विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध में दिये गए हैं.</p>	<p>5.70% p.a. at quarterly rest. Interest rate on refinance are subject to change from time to time.</p> <p>4. It is expected that the benefit of the concessional refinance will be appropriately factored in while fixing the interest rate for the ultimate borrower by the bank.</p> <p>5. The detailed operational guidelines are furnished in the annexure.</p>
---	---

भवदीय

एल. आर. रामचंद्रन

(एल आर रामचंद्रन)

मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : उपरोक्त अनुसार

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward

अनुबंध Annexure

जल, स्वच्छता और बीमारियों की रोकथाम (वाश) संबंधी गतिविधियों के लिए योजनाबद्ध पुनर्वित्त नीति- वित्तीय वर्ष 2020-21

Schematic Refinance policy for Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Activities – FY 2020-2021

परिचालनात्मक दिशानिर्देश Operational Guidelines

1. उद्देश्य Objective

- i. जल, स्वच्छता और बीमारियों की रोकथाम (वाश) संबंधी गतिविधियों के लिए पात्र लाभार्थियों / उद्यमियों को समय पर ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों / वित्तीय संस्थानों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति
To meet credit requirement of banks/FIs so as to enable them to provide timely and hassle credit to eligible beneficiaries/entrepreneurs so as to facilitate WASH activities.
- ii. शहरों से वापसी संबंधी समस्याओं को दूर करना To address the issues related to reverse migration.
- iii. कोविड-19 महामारी के दौरान जल, स्वच्छता और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देना.
To give a boost towards sanitation, health and hygiene during COVID-19 era.
- iv. प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण गहनता आधारस्तरीय ऋण प्रवाह
Credit intensification and enhancing GLC flow in priority sector

2. उत्पाद Product

वाश योजना में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी/ सूक्ष्म वित्त संस्थानों के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियों हेतु प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा:

The WASH Scheme will provide refinance to banks for extending loans directly as well as indirectly through NBFCs/ MFIs for the following activities:

- a) घरेलू शौचालय निर्माण Household Toilet construction (दो गड्ढे वाले Twin pit)
- b) पुराने स्वच्छता इकाई को दुरुस्त करना Repairing of the old sanitation unit
- c) मौजूदा शौचालय को शौचालय-सह-स्नानागार में बदलना Enlarging existing toilet to Toilet cum bathroom
- d) साझे शौच सुविधा का निर्माण या नवीकरण Construction or renovation of a shared toilet facility
- e) वाश बेसिन सुविधा लगाना या जोड़ना Installing/adding a hand wash facility

- f) मौजूदा शौचालय को पारिवारिक शौचालय में बदलना /निर्माण Constructing/ converting an existing toilet to an accessible family toilet
- g) घरेलू बॉटर मोटर पम्प /बोर वेल/ट्यूब वेल/ (पानी की भूमिगत टंकी) संप Domestic water motor pump/ Bore well/Tube well, sumps
- h) पानी का कनेक्शन / पाइप लाइन Water connections/ pipelines
- i) जल संग्रहण- छत की टंकी Water storage - Overhead tanks
- j) जल संग्रहण संरचना Rainwater harvesting structures
- k) वाटर फ़िल्टर /प्यूरिफायर Water filters/purifiers
- l) सामुदायिक जल शुद्धिकरण प्लांट Community Water Purifier Plants
- m) अपशिष्ट जल प्रणाली – पाइप, नाली, भीगे गड्ढे Waste-water systems- Pipe, Drain, soak pits
- n) सैनीटरी नैपकिन निर्माण इकाइयों हेतु स्वयं सहायता का गठन SHGs for setting up the sanitary napkin manufacturing units.
- o) वाश उद्यम संवर्धन – खुदरा बाज़ार (रीटेल मार्ट), वाश मार्ट आदि WASH Enterprise Promotion – retail mart, WASH Mart etc.
- p) माल कीचड़ उपचार संयंत्र लगाना Setting up Faecal Sludge Treatment Plant

स्टार्ट-अप / उद्यमियों/ सैनीटरी फिटिंग विनिर्माण/आपूर्ति, तैयार शौचालय आदि को सहायता प्रदान करना सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम / वाश उद्यमों की सहायता के उपयोग के लिए नैशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के ऋण गारंटी निधि का उपयोग सूक्ष्म इकाइयों के लिए किया जा सकता है. ये उद्यम आस-पास के क्षेत्रों में उचित दाम पर निर्माण सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं और रोजगार पैदा कर सकते हैं.

Support to start-ups/entrepreneurs/MSMEs manufacturing/supplying sanitary fittings, readymade toilets, etc. NCGTC's Credit Guarantee Funds for Micro Unit could be utilized to support WASH enterprises. These enterprises would be able to provide constructions material to nearby areas at reasonable cost and also generate employment

3. रखरखाव Maintenance

पहले ऋण की नियमित चुकौती करने वाले लाभार्थियों द्वारा बैंक ऋण से निर्मित आस्तियों के रखरखाव के लिए बैंक अपने निजी स्रोत से अनुवर्ती ऋण प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं. इससे खुले में शौच करने की प्रथा बंद करने के लिए की पहल को बल मिलेगा. इससे ग्रामीण परिवारों को प्रोत्साहन मिलेगा और तैयार हुई सुविधा का नियमित उपयोग सुनिश्चित भी किया जा सकेगा.

Banks may consider a follow-on component from their own funds for the maintenance of the assets created out of the bank loan for those borrowers who are regular in repaying the first loan. This will help sustain the ODF initiative.

This will also be an incentive for households to go in for improvements and also ensure regular usage of the facility created.

4. सेवा प्रभार **Service Charges**

प्राथमिक क्षेत्र दिशानिर्देशों के अनुसार ₹25,000 तक के प्राथमिक क्षेत्र ऋणों पर ऋण संबंधी तथा तदर्थ सेवा प्रभार / निरीक्षण प्रभार नहीं लगाए जाने चाहिए. प्राथमिकता क्षेत्र स्वयं सहायता समूह / संयुक्त देयता समूह ऋण के मामले में यह सीमा प्रत्येक सदस्य पर लागू होगी न कि समूह के आधार पर.

As per PSL Guidelines, no loan related and adhoc service charges/ inspection charges should be levied on priority sector loans up to ₹25,000. In the case of eligible priority sector loans to SHGs/ JLGs, this limit will be applicable per member and not to the group as a whole.

5. चुकौती अवधि **Repayment Period**

ऋण की प्रमात्रा, प्रयोजन और परिवार की आमदनी के आधार पर चुकौती अवधि 18-36 महीने के बीच में निर्धारित की जा सकती है. लाभार्थी, यदि चाहे तो, समय से पहले ब्याज सहित ऋण की चुकौती बिना किसी पुनर्भुगतान प्रभार के कर सकता है.

Repayment period may be fixed between 18-36 months based on the quantum of loan, purpose and income stream of the family. The beneficiary, if so desires, may prepay the loan with interest without any prepayment charges.

6. स्वीकृति का माध्यम और ऋण सीमा की परिचालन अवधि

Mode of sanction and operative period of the limit

पात्र बैंकों और नाबार्ड की सहायक कंपनियों को 18 से 36 महीने की अवधि के लिए मीयादी ऋण के रूप में पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा.

The refinance will be provided to eligible banks and NABARD Subsidiaries in the form of term loan for a period of 18 to 36 months.

7. ऋण सहायता का स्वरूप, प्रतिभूति आदि **Nature of accommodation, security etc.**

विशिष्ट वित्तीय संस्थान को पात्र संस्थाओं को योजनबद्ध ऋण की पुनर्वित्त नीति के अनुसार पुनर्वित्त प्रदान की जाएगा और यह स्वतः पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध होगा.

The refinance will be provided to eligible institutions as per the refinance policy for schematic lending for the particular FI and will be available under ARF.

...the ... of ...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..